संख्या- 19/2016/480/61-2016-23/4-2011(निर्वाचन-1)

प्रेषक,

एस0पी0 उपाध्याय,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग लखनऊ: दिनांक 02जून, 2016

विषय: मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय, उ0प्र0 में तकनीकी कार्यो में सहयोग प्रदान हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्टाफ की व्यवस्था ।

महोदय

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-12/2015/518/61-2015-23/4-2011(निर्वाचन-4), दिनांक 05 अगस्त, 2015 द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुपालन में कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 में तकनीकी कार्यो में सहयोग प्रदान करने हेतु सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोग्रामर, स्टेटिस्टिकल आफिसर एवं डाटा इन्ट्री आपरेटर के कुल 11 पद सृजित करते हुए आउट सोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने का निर्णय लिया गया था। वर्ष 2017 में होने वाले विधान सभा सामान्य निर्वाचन एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्यो के समयान्तर्गत निस्तारण में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में सृजित पदों में से 15 रिक्त पदों के सापेक्ष 15 डाटा इन्ट्री आपरेटर के पदों को आउट सोर्सिंग के माध्यम से न्यूनतम दर पर पारिश्रमिक भुगतान के आधार पर भरे जाने की श्री राज्यपाल इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उक्त कार्मिकों की तैनाती प्रथमत: 28-2-2017 अथवा इससे पूर्व कि लोक सेवा आयोग से अनुभाग अधिकारी, समीक्षा अधिकारी तथा सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थी प्राप्त होने पर उक्त पद स्वत: समाप्त हो जायेगे।

2- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-41 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2015-निर्वाचन आयोजनेत्तर-103-निर्वाचक नामावली तैयार करना एवं मुद्रण-05-निर्वाचन अधिष्ठान व्यय-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान" मद के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-636/दस-2016 दिनांक 01 जून 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एस0पी0 उपाध्याय)
उप सचिव।

संख्या - 19/2016/480/61-2016-23/4-2011 निर्वाचन-1) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी, निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(एस0पी0 उपाध्याय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।